

प्रेषक,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
मदरसा लिलिद पलावर
करबा जलालाबाद ब्लाक नजीबुद्दीन

पत्रांक : 2860 / ओसओओ / मदरसा मान्यता / 2012-13

दिनांक : 12/5/12

विषय : मदरसे को तहतानिया (कक्षा 1 से 5 तक) की नवीन अस्थाई मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके मदरसे को तहतानिया की नवीन अस्थाई मान्यता दिए जाने का प्रकरण जिला मान्यता समिति के समक्ष दिनांक 11-05-2012 को प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति के अनुसार आपके मदरसे को तहतानिया (कक्षा 1 से 5 तक) नवीन अस्थाई मान्यता शासनादेश संख्या- 1126/52-3-2003-11(4)/2003, दिनांक 22-4-2003 में दिए गए निर्देशानुसार निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. मदरसे में उसके सुचारु रूप से संचालन के लिए उक्त मदरसे के प्रबन्धाधिकरण द्वारा यथा आवश्यकता वित्तीय संसाधन स्वयं उपलब्ध किए जाएंगे।
2. मदरसे में अरबी-फारसी बोर्ड द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से निम्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जाएगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा।
3. मदरसे के प्रबन्ध या उसके कार्यों का प्रबन्ध करने वाले अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि समय-समय पर जारी किए गए विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेंगे।
4. मदरसा विभाग के नियमों और समय-समय पर दिए गए निर्देशों और आदेशों का पालन करेंगे।
5. मदरसे के छात्र/छात्राओं से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, अर्थात् उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
6. मदरसे की समस्त निधियों का लेखा-जोखा उचित रूप में रखा जाएगा, जिसे केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया जाएगा, जो केवल संचुक्त हस्ताक्षर से निकाला जा सकेगा।
7. मदरसे में शिक्षा का माध्यम उर्दू होगा।
8. विभाग द्वारा समय-समय पर मदरसे का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कमाने आवश्यक है।
9. यदि मदरसे की कमेटी अथवा सदस्य किसी समय बदला जाता है, तो उसकी पूर्ण जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करानी आवश्यक होगी।
10. मदरसे में तैनात समस्त शिक्षकों की सूची एवं शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
11. मदरसे में निर्धारित माप के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक हैं।
12. मदरसे की स्थाई मान्यता हेतु एक वर्ष उपरान्त आवेदन किया जाएगा तथा स्थाई मान्यता हेतु निर्धारित की गयी सभी शर्तों को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा। स्थाई मान्यता हेतु मदरसे को अपना निजी भवन होना अनिवार्य है।
13. मदरसे की अस्थाई मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक स्थाई मान्यता की शर्त पूरी नहीं की जाती है। यदि उक्त निर्देशों/विभागीय निर्देश एवं कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का आपके द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
बिजनौर

पत्रांक / दिनांक उक्त

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उओओ 620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2. रजिस्ट्रार अरबी-फारसी मदरसा, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
बिजनौर